

एक नजर

दो गुटों ने नारपीट थाने का किया

घेराव, मानला दर्ज

रांची : रांची के हिंदीगढ़ी थाना क्षेत्र के इसीली पेड़ के मंदिर के समीप दो गुटों में मारपीट के बाद एक गुट के लोगों ने सोमवार देर रात थाने का घेराव किया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गश्त नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपितों की गिरफतारी की मांग को लेकर सोमवार देर रात को आदेश राज्य सचिवकार को दिया है।

रांची : रांची थाने पहुंच गए और हंगामा किया। एक गुट में दोनों पक्षों के युवकों को घोट ली गई है। एक पक्ष से अब्दुल्ला हसनैन ने मंगलवार को घोर नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ एकआईआर दर्ज कराया है।

दूसरे गुट से डेली मार्केट निवासी हर्षिंग प्रसाद ने अब्दुल्ला हसनैन और दो अज्ञात के खिलाफ

प्रकाश सोए ने बताया कि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एकआईआर दर्ज किया गया है।

पुलिस एक पक्ष से तीन लोगों को हिरासत में लेकर पछताच कर रही है।

कोहवाली डीएसपी

प्रकाश सोए ने बताया कि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एकआईआर दर्ज किया गया है।

तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछाँच की जा रही है।

रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने नंत्री से की गुलाकात

रांची : रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतों ने मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने संवादनसभा क्षेत्र के लिये, सोनाहुत और राहे प्रवृद्ध के कुल 12 सदक एवं पुल के निर्माण की मांग की।

जिलाध्यक्ष डॉ महतों ने विभागीय मंत्री को अपवाह कराया कि पिछले दिनों जिला कमेटी की ओर से तीनों प्रधानों में जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें इन जर्जर सड़क और पुल के निर्माण कारने का लिखित आग्रह स्थानीय ग्रामीणों के जरिये किया गया था। इनके निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में ही रही परेशानी से निजात मिलेगा। जिलाध्यक्ष की मांग पर मंत्री ने उन्हें अश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी। इन ग्रामीण एवं और पुल के निर्माण को प्रथमिकता दें आधार पर करायेगी। मंत्री ने विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि इन पथ और पुल के निर्माण के लिए यात्रीग्रामीण डीएसपी

पुस्तक वितरण में हुआ घोटाला : नीलकंठ मुंडा

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में नीलकंठ सिंह मुंडा ने सवाल उठाया कि बच्चों को अब तक ले जाने के लिए कोई दर का निर्धारण नहीं हुआ है। सेशन पी खत्त हो रहा है।

रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में नीलकंठ सिंह मुंडा ने सवाल उठाया कि बच्चों को अब तक ले जाने के लिए कोई दर का निर्धारण नहीं हुआ है। इसमें कहाँ नहीं हुआ है।

रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में नीलकंठ सिंह मुंडा ने सवाल उठाया कि बच्चों को अब तक ले जाने के लिए कोई दर का निर्धारण नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया कि रांची जारी

नाम्रा ने शराब किया गया है।

उन्होंने बताया



ડા. આશીષ વાણીછ

बात हम नया मारेट एवं
विकसित भारत की करते
हैं, लेकिन हमारी
व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं
बनी हैं और हम
अनियंत्रित एवं असुरक्षित
विस्तार करते रह सके जैँ।

विकास करत जा रह हा।
मुंबई हो, दिल्ली हो,
चैन्यर्ड या बेंगलुरु या ऐसे
ही अन्य बड़े शहर - हर
कहीं अनियोजित विकास
और शहरी निर्माण संबंधी
नियम-कानूनों के खुले
उल्लंघन के घलते आए
दिन दुर्घटनाएं होती रहती
हैं। इथिति यह है कि
सरकारी भवनों तक में
सुरक्षा के उपायों की
अनदेखी होती है।

संपादकीय

खामयाजा भरना नामुमाकिन

दल्ला के अल्ले राजन्द्र नगर नियम नामा काचिंग सेट राव के बसमें में जलभराव से तीन छात्रों की मौत वाकई दुखद है। कोचिंग संस्थान, सिविक एजेंसी और सरकारी मशीनरी की काहिली से यह जानलेवा स्थिति बनी। यहां बरसात का पानी अचानक भर गया, वहां बनी लाइब्रेरी में तकरीबन 35 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बता रहे हैं, शुरूआत में पानी थोड़ा था पर अचानक बरसाती पानी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। तेज स्पार्किंग के साथ धमाका हुआ और बिजली गुल हो गई। अफरा-तफरी में वे बाहर की तरफ भाग मगर बायोमैट्रिक लगा होने के कारण दरवाजा नहीं खुला। पांच मिनट में भूतल में 10-12 फीट पानी भर गया था। बचाव दल ने छात्रों को बुमिश्किल निकाला। दो छात्रों का पोस्टमार्टम में उनकी मौत दूर्घटे व गंदा पानी फेफड़ों में भरने से होने की रफ्तार है, एक छात्र के परिजन के पहुंच न पाने के कारण शव सुरक्षित रखा गया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अधिकारी गुप्ता समेत कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नियमानुसार जिस भूतल को केवल स्टोर के लिए इस्तेमाल करना था, वहां कक्षा है और पुस्तकालय भी। राजधानी में केंद्र सरकार की नाक के नीचे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की देश भर में काफी निंदा की जा रही है। दमकल विभाग का कहना है, वहां मौजूद तमाम कोचिंग सेंटरों ने मुख्यमंत्र स्लाइडिंग बनाए हैं। ताकि बरसात का पानी वहां न आ पाए। ऐसे तेरह सेंटरों को आनन्द-फानन सील भी कर दिया गया है। जौ माह का शुल्क डेढ़ लाख से अधिक लेने वाले राव जैसे अन्य सेंटरों के कुछ छात्र इस अव्यवस्था की लिखित शिकायत भी कर चुके थे। वहां संकरी गलियों के छोटे-छोटे घरों में रहने वे पढ़ाई करने वाले छात्रों का जमावड़ा रहता है। कुछ ही दिन पहले ऐसे ही सेटर में आग लगने की घटना हो चुकी है। सरकार ने मुंह छिपाने के लिए आनन्द-फानन नए नियम लागू कर दिए हैं। मगर इन होनहार छात्रों के जीवन का खामियाजा तो किसी भी तरह नहीं भरा जा सकता। सख्त सजा से जरूरी है, देश भर के छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाए और लापरवाही करने वाले संस्थानों को वूही मुक्त न छोड़ दिया जाए। मालिकों व प्रबंधकों के अतिरिक्त इस हादसे की सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। उसे अपनी लापरवाही को सुधारना होगा। कुल मिलाकर खुशाब जल निकासी और सरकारी तंत्र की ओर लापरवाही के चलते दूरदराज से अधिकारी बनने के खुबाब लिए बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

चिंतन- मनन

हर जीव में व्यास नारायण


वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम-पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों में विद्यमान हैं। वद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट हैं-आसीनों दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतरु हम भौतिक इन्द्रियों से न तो उहें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उहें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इन्द्रियां असमर्थ हैं। किन्तु जिसने, भक्ति में कृष्णभावनामृत का अभ्यास करते हुए, अपने मन-इन्द्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उहें निरन्तर देख सकता है। ब्राह्माहिता के अनुसार परमरे के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरन्तर उनके दर्शन कर सकता है। और भगवानीता में कहा गया है कि उहें केवल भक्ति द्वारा देखा-समझा जा सकता है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बैठ हुए हैं? नहीं। वास्तव में वे एक हैं। जैसे सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई पांच हजार मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। इस उदाहरण का अर्थ है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं माने विभाजित होवैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हैं। जिस तरह एक सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमरे प्रत्येक जीव के पालनकर्ता हैं, किन्तु प्रलय के समय सबका भक्षण भी कर जाते हैं। सृष्टि रची जाती है, तो वे सबको मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय सबको निगल जाते हैं। वैदिक शास्त्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा आश्रय-स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं पुनः उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं।

८

ल्ला म साक्षरता सवा पराशका का तथारा करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत-हादसे ने समूचे राष्ट्र को दुःखी एवं आहत किया है, वह हादसा नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, लापरवाही एवं लोभ की पराकाशा है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर दोषप्रस्ता कोचिंग प्रणाली और व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्षों नहीं गिरफ्तार किया गया जो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। इस दुःखद एवं पीड़ादायक घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कारों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलिएभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या सवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। जिसकी कीमत निदोषों को अपनी जान गंवा का चुकानी पड़ रही है। निश्चित ही देशभर में कुरुमर्तों की तरह उग आए कोचिंग सैंटर डैश सैंटर बन चुके हैं। कोचिंग सैंटरों का कारोबार शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। छात्रों को सुनहरी भविष्य का सपना दिखा कर मौत बांटी जा रही है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेर्झानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भट्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। प्रश्न है कि सैंटर के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन ऐसी घटनाओं के दोषी अधिकारी वर्षों नहीं गिरफ्तार होते?

शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के कोचिंग सैंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डॉल्चिन, तान्य सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खुदा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आईएस की तैयारी कर रहा था और वह जेपन्यू से पीएचडी पी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव ने अभी एक महीना पहले ही इस कोचिंग सैंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जहाँ 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। हादसे के बक्त 35 छात्र मौजूद थे। चंद मिनटों में ही बेसमेंट में पानी भर गया। सिर्फ इसी सैंटर में नहीं, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। जिसके गेट बायोमेट्रिक आईडी से खुलते हैं, जैसे ही बारिश होती है, बिजली चली जाती है, उसके बाद बेसमेंट से निकलना बिना बायोमेट्रिक आईडीटिकेशन के मुश्किल होता है।

538 लोकसभा सीटों पर पड़े वोट और गिने गए वोटों पर अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह



सनत जेन

लो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफर्म (एडीआर) ने सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। 362 लोकसभा की सीटों पर मतदाताओं द्वारा डाले गए और गिने गए वोटों में 5,54,598 वोटों का अंतर है। मतगणना कम वोटों की की गई है। जबकि जीतने वाले प्रत्याशी और दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। इससे जीत-हार प्रभावित हुई है। लोकसभा की 176 लोकसभा सीटों पर वोट कम पढ़े और 35093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। 538 सीटों पर कुल वोटों का अंतर 5,89,691 पाया गया है। इस संस्था के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदान का डाटा जारी करने में भी पारिदिशिता नहीं बरती गई है। चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के आंकड़े काफी विलंब से जारी किए गए। प्रारंभिक मतदान और अंतिम मतदान के परिणामों में 5 करोड़ से अधिक वोटों का अंतर पाया गया है। अभी भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना के आंकड़े मतदान के दोनों के हिसाब से जारी नहीं किए गए हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना को लेकर सदिह बना हुआ है। जबकि यह जानकारी पूर्व में चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही थी। एडीआर ने 79 लोकसभा सीटों का एक अलग विशेषण जारी किया है। जिसमें मतदान कम होने की जानकारी दी गई थी। जब मतगणना हुई तभी में करोड़ों वोट ज्यादा गिने गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान-

क बीच म आदेश आचार संहता को जा शिक्यायत का गई थीं, उन पर भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा शिक्यायतों का भेदभाव पूर्ण ढंग से निपटारा करने का आरोप लगा है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार पक्षपात और संदेह व्यक्त किया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायाधीश, वकील और पत्रकार भी शामिल हैं। यह संस्था पिछले कई वर्षों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का डाटा इकट्ठा करती आ रही है। उसका विश्लेषण करती है, और समय-समय पर वह डाटा सार्वजनिक पोर्टल पर जारी करती है। इस संस्था की बड़ी विश्वसनीयता मतदाताओं, मीडिया और संस्थाओं के बीच में बनी हुई है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध डाटा के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए गड़बड़ियों को उजागर करती है। समय-समय पर इस संस्था द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनूँद करने की कोशिश की गई है। मतदाताओं के लाकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सके, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करती है। 5 वर्ष पहले भी इस संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के कारण डिटेल में जाकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में इवीएम मशीन, बीवीपेट मशीन, बीवीपेट से निकली हुई मतदान पर्चियों की गिनती, माइक्रोकंट्रोल युनिट इत्यादि के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चुनाव के दौरान जो मड़बड़ियां थीं उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किए थे, उसका पालन भी चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत नहीं किया गया। चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट

ने जा फेसला दिया था। उसका बदलत हुए सरकार एक नया कानून बनाया। जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तीन सदस्यों की कोटी ने चुनाव के ठीक पहले तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। ये नियुक्त भी विवादों में हैं। नए कानून को चुनौती देवाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लखित है। लोकसभा ने चुनाव हो चुके हैं। परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। सरकार का गठन भी हो गया है। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफर्म द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है संगठन ने चुनाव आयोग से भी जानकारी मार्गी, लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देने के स्थान पर छुपाया जा रहा है। इससे भी संदेह बढ़ रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के जिला विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदान की जानकारी शाम को 7 बजे और दूसरे दिन दोपहर 11 बजे तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदान हुआ है। उसको मतदान केंद्र के हिसाब से जारी कर देती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव वा चुनाव आयोग द्वारा जो प्रारंभिक मतदान की जानकारी दी गई थी। उसके कई दिनों बाद मतदान के जो आंकड़े जारी किए गए, उनमें करोड़ों वोटों का अंतर है। राज्यवार 12 फीसदी तक का अंतर मतदान में है निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अभी तक मतदान केंद्र वा मतगणना का आंकड़ा मतदान केंद्रों के हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा पोर्टल पर नहीं डाला गया है। एक निश्चित समय पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों वा चुनाव याचिका हाइकोर्ट में दावर करनी पड़ती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, निर्वाचन क्षेत्र का दूसरे नंबर का उम्मीदवार यदि मतगणना से सहमति नहीं है। वह राशि भरकर 45 दिन के अंदर जांच वा मांग कर सकता है। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई नियम नहीं बनाए हैं। जिन पराजियों उम्मीदवारों ने आवेदन लगाए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है भारतीय लोकतंत्र और सर्विधान की बुनियाद मतदान पर ही रखी गई है। निवाचित प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत

भुखमरी : खत्म करने की चुनौती

मजबूर है। ये जानकारी दुनिया में खात्री सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड नूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024' नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास काष्ठ (आईएफएडी), यूनिसेफ, विभ खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज दुनिया की एक तिहाई आबादी ऐसी है, जो पोषण युक्त आहार स्थानों में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इनमें 86.4 करोड़ लोग यो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। वास्तविकता में देखें तो पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण का स्तर 2008-2009 के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि देखा जाए तो ये रिस्तित तब है जब सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक किसी को खाली पेट न सोने देने की बात कही गई थी। मतलब की इन छह वर्षों में दुनिया को एक लंबा सफर तय करना है। रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर

मौजूदा हालात इसी तरह से जारी रही, तो 2030 तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इनमें से आधे अफ्रीकी में होणि साफ है, दुनियाभर में तमाम प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असामनता और कुपोषण जैसे मुद्दे पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यूं तो इंसान पांच दशक पहले ही चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी कोरोड़ों लोगों के चांद रोटी में नजर आता है। ताजा रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में भूखमरी की संख्या घटने की बजाए तेजी से बढ़ रही है। साफ है भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय किया जाना बार्क है। ये कैसी विडंबना है एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझ कर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खानातक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूँड़ और मर रहे हैं। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है। गौं करने वाली बात ये है कि दुनिया में बढ़ती संपन्नता वे साथ ही लोग खाने के प्रति असवेदनशील हो रहे हैं खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने

विटना होने के बाद ही उन पर कार्रवाई क्यों होती है? इकार पहले क्यों नहीं जागती?

से तो बेसमेंट में कार्किंग सेन्टर या लाइब्रेरी चलना गैर-ननी है, इस घटना के सन्दर्भ जब बेसमेंट में स्टोर या किंग की अनुमति दी गई थी तो वहाँ लाइब्रेरी कैसे चलने चाही? स्पष्ट है कि कोर्किंग संचालकों और दिल्ली नगर नगर के अधिकारियों की मिलीभागत से ऐसा हो रहा होता। लभाराव के कारण पानी जब बेसमेंट में धूसा तब लाइब्रेरी 30-35 छात्र थे। वह तो गवीमत रही कि तीन अभागे त्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे-तैसे निकल आए। इस ताके में बरसात में हर समय जलभाराव होता है, लेकिन रुसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एप्सीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात ही है। जांच के नाम पर लोपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन भी शहरी दांचे की देखेख रख करने और उसे संवारने की अपेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार हीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ-साथ न्य महानगरों का भी शहरी ढाँचा बुरी तरह चरमरा गया।

त हम नवा भारत एवं विकसित भारत की करते हैं, किन हमारी व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं बनी हैं और हम नियंत्रित एवं असुरक्षित विकास करने जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली हो, चैन्नई या बैंगलुरु या ऐसे ही अन्य बड़े शहर तर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी यम-कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों के मुरुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। दिल्ली के कम्पटेक्स भवन में आग से एक अधिकारी की जान हाल गयी। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम-नान हैं, लेकिन वे कामजों पर ही अधिक हैं या निदोषों परेशानी करने के लिये हैं। औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी ऐसे बनाने के फेर में रहते हैं और नियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी कास के बड़े-बड़े दावे करने और उन्हें संवारने की तमाम जानाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त एवं सुरक्षित हैं। हर हादसे पर सियासत होती है लेकिन कार्किंग सेंटर माफिया इतना ताकवर है कि उसके आगे कोई छ नहीं बोलता। ऐसा क्यों है यह सब जानते हैं।

के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। मतदाताओं से मिले हुए इस अधिकार से केंद्र एवं राज्य सरकार का गठन होता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें जनता के लिए कानून बनाती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसी के अनुसार काम करती हैं। चुनाव आयोग एक संविधानिक संस्था है। उसको निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है। चुनाव आयोग, चुनाव की निष्पक्षता, पारिदर्शिता और सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर मिलें। सभी राजनीतिक दलों का समान अवसर मिलें। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तरफ की गई है। यदि मतदाताओं को चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं होगा? चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करेगा, तो लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाहृ चंद्रबूढ़ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया था, उसमें उल्लंघन कहा था, कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी बिना ढर और भय के सवाल कर सके। बिना किसी दबाव में आए काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कमेटी बनाई थी, उसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिष्ठान को शामिल किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ना मानते हुए, जो कानून बनाया। उसमें तीन सदस्यों की कमेटी में दो सदस्य सरकार के और एक विषय का रखा गया। जिसके कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर, मतदान और मतगणना पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, जो प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर खड़े हुए हैं। उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करके, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। लोकतंत्र तथा संविधान मजबूत हो। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन आज भी सबसे सशक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान केंद्रीय चुनाव आयोग से भी अपेक्षा की जाती है।

की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। अगर इस बाबार्दी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, खाद्यान्न की क्षति और बबार्दी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है बल्कि ये बढ़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपरिशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर अगे बढ़ने का दावा करता है। अत्यधिकविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रवास भी करती हैं तथा विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे अगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको ये बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूटे लगने लगते हैं। ये कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

